न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

उनवानः– धनसी बनाम गल्ला

7/11/24 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई।

सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे सायल हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है बकिया हिस्से के गैरसयलान व अन्य सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात मे सायल व गैरसायलान व मूल वाद के अन्य प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजी है जिसका मौके पर बहामी बटवारा कर रखा है मौके के अनुसार ख0न0 880/0.20 है0 मे सायल सम्पूर्ण भाग पर तथा ख0न0 886/0.61 है0 जो सडक के किनारे है मे पूर्वी दिशा की तरफ 7 ऐयर पर सायल का कब्जा रहा है। विवादित आराजीयात का विधिवत बटवारा नही होने से आये दिन विवाद बना रहता है। सायल अपने हिस्से का बटवारा कराने का अधिकार है, तकास्मा कराने के हकदार होने से सायल का प्राईमाफेसी केस साबित है तथा सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे है इसलिये गैरसायलान को तादावा फैसला रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायल न0 1 व 2 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित ख0न0 880 के सम्पूर्ण भाग व ख0न0 886 के सडक के किनारे 7 ऐयर भूमि पर कब्जा नही होकर गैरसायलान का भी अपने हिस्सेनुसार कब्जा है। सायल उक्त दोनो नम्बरो पर जबरन कब्जा करना चाहता है। विवादित आराजीयात प्रार्थना पत्र के मद न0 2 ता 7 मे गैरसायलान मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जिनको कानूनी रूप से पाबन्द नही किया जा सकता। विवादित आराजीयात मे गैरसायलान को पाबन्द किया गया तो गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही है। सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष मे साबित नही होकर गैरसायलान के पक्ष मे है। अतः दिनांक 18.11.2020 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम माचडी की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता न0 125, 126, 127, 128, 352, 353 मे सायल 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है बकिया हिस्से मे गैरसायलान व अन्य सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायल द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसमे सायल व गैरसायलान का हिस्सा व कब्जा तय किया जाना है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि दौराने वाद बेचान होने से सायल को अपूर्तनय क्षति साबित होने की संभावना है अतः सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष मे साबित होता है, इसलिये वादपत्र के न्यायोचित निस्तारण के लिए सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः गैरसायलान को ग्राम माचडी की आराजी ख0न0 886/0.61, 880/0.20, 881/0.20, 883/0.28, 885/[illegible]5, 1025/0.08 मे ता दावा फैसला रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:54:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner